न्यायालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर

जालोर न्याय क्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	–	डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस
सी.आई.एस. संख्या	–	74/2026
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	–	74/2026
अभियोग संख्या	–	10/2025–26
सीएनआर नंबर	–	RJJL020001852026
आरक्षी केन्द्र	–	जालोर

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, जालोर

.....अभियोगी

बनाम

लालाराम पुत्र खीमाराम, उम्र 31 वर्ष, निवासी एफ.सी.आई. कोलोनी, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर (राजस्थान)

.....अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थितः-

अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य

श्री सुजानाराम देवासी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

–:प्रकरण के संक्षिप्त विवरणः-

अपराध की तिथि	15-08-2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	15-08-2025
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	16-01-2026
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	10-06-2026
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	10-06-2026
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	10-06-2026
निर्णय की तिथि	10-06-2026
दंड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	-

Authenticated Document

-:अभियुक्त का विवरण:-

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि
1.	लालाराम	18-08-2025	18-08-2025	16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	दोषसिद्ध	दण्डादेशानुसार	-

-:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:-

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू-1	हाथीसिंह	मालखाना प्रभारी

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

-:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:-

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1.	फर्द जब्ती शराब	प्रदर्श पी-1
2.	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी-2
3.	नक्शा नजरी बरामदगीस्थल	प्रदर्श पी-3
4.	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त	प्रदर्श पी-4
5.	अग्रेषण पत्र	प्रदर्श पी-5
6.	प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी-6
7.	एफएसएल रिपोर्ट	प्रदर्श पी-7

Authenticated Document

8.	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी-8
9.	मूवेंट रजिस्ट की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी-9

क्रम संख्या	आर्टिकल्स	संख्या
-	-	-

क. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
-	-	-

<u>निर्णय</u> **दिनांकः- 10-06-2026**

01- इस प्रकरण का उद्भव प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जालोर की ओर से दिनांक 15-08-2025 को अभियुक्त लालाराम के विरुद्ध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर हुआ, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

02- अभियोजन वृतांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी करणीसिंह, प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, जालोर ने एक फर्द जप्ती व बरामदगी प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, जालोर में इस आशय की पेश की कि दिनांक 15-08-2025 को करणी सिंह प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल जालोर मय जाब्ता सिपाही गुमानाराम व सुरताराम के जरिये सरकारी वाहन के दौराने रेड/गश्त करते हुए सूचना के आधार पर जालोर से महेशपुरा जाने वाली कच्ची सड़क पर पहुँचे तो सामने सड़क पर एक व्यक्ति अपने हाथ में एक वजनी प्लास्टिक की बड़ी बोतल लिए खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो उन्हें बावर्दी अपनी तरफ आता देखकर घबराकर बोतल को वहीं जमीन पर रखकर घनी झाड़ियों की और भागने लगा। शक के आधार पर गाड़ी को रोककर जाब्ते से गुमानाराम सिपाही को बोतल के पास छोड़ कर उस व्यक्ति का पीछा किया। भागते समय वह व्यक्ति पीछे मुड-मुड कर देख रहा था, जिसको जाब्ते ने लालाराम पुत्र श्री खीमाराम, निवासी एफ.सी.आई कॉलोनी, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली, जालोर, जिला जालोर के रुप में पहचाना क्योंकि इसकी पहले भी काफी बार शिकायत होने पर तलाशी ले चुके है, जिसका काफी पिछा किया, परन्तु वह भागकर झाड़ियों में रुहपोष हो गया। इस पर वापस घटनास्थल पर आकर आसपास स्वतंत्र गवाह देखा, परंतु कोई भी गवाह नहीं होने पर जाप्ते में से उपर्युक्त कर्मचारियों को मौतबिर मामुर कर आपसी जमा तलाशी ले-देकर लालाराम द्वारा जमीन पर पटकी हुई

Authenticated Document

बोतल को खोल कर देखा व सुंघा तथा गवाहो को भी दिखाया व सुंघाया तो सभी ने प्लास्टिक की बोतल में 02 लीटर नाजायज हथकड़ शराब भरी होना जाहिर किया। इस प्रकार लालाराम का उक्त कृत्य जुर्म धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत दण्डनीय अपराध होने पर बरामद शराब में से एक साफ कांच का पव्वा पृथक से शराब वास्ते रासायनिक जॉच हेतु निकाल कर शेष शराब को उसी प्लास्टिक की बोतल में रखकर अपने व गवाहों के हस्ताक्षर युक्त सील चिटों से शिल्ड चिट चस्पा कर पन्ने पर मार्का ए व बोतल पर मार्का बी अंकित कर कब्जे राज लेकर मौके की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर मय मालखाना के कार्यालय हाजा पहुंचकर राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 16/54 के तहत अभियोग दर्ज रजिस्टर कर एफ.आइ.आर जारी की गई व नमुना सील फर्द पर अंकित की गई.....इत्यादि।

03- उक्त रिपोर्ट पर प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, जालोर द्वारा अभियोग सं. 10/2025-26 अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त लालाराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04- दिनांक 10-06-2026 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाये गए।

06- तत्पश्चात् अभियुक्त का परीक्षण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को झूठा बताते हुए कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

07- बहस अंतिम सुनी गई। अभियुक्त के धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बंध-पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किये गए।

08- इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिंदु यह है कि:-

Authenticated Document

''क्या, अभियुक्त से दिनांक 15-08-2025 को किसी समय वाके मौजा जालोर से महेशपुरा जाने वाली सड़क पर प्लास्टिक की बोतल में कुल 02 लीटर हथकढ़ नाजायज शराब बरामद हुई, जिसको स्वयं के चैतन्य एवं कब्जे में रखने का उसके पास कोई लाइसेंस/परमिट नहीं था? यदि हाँ तो अभियुक्त किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है"?

09- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावें।

10- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त श्री सुजानाराम देवासी ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्त की लिप्तता को प्रकट करें। अंत में, अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11- उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु कुल 01 साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है, जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार है:-

साक्षी **पीडब्ल्यू-1 हाथीसिंह** ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 15-08-2025 को जमादार के पद पर आबकारी निरोधक दल जालोर में कार्यरत था। उस रोज पीओ करणीसिंह मय जाब्ता ने एफसीआई गोदाम के पास से लालाराम द्वारा रखे हुए दो लीटर हथकड़ी शराब को बरामद कर उसमें से एक पव्वा नमूना सैम्पल हेतु लिया बाद कार्यवाही पीओ साहब ने प्रकरण दर्ज कर नमूना सैम्पल व वजह सबूत माल उसे सुपुर्द किया। उक्त माल अभियुक्त लालाराम से बरामद हुआ, जिसे पीओ करणीसिंह व जाब्ते में शामिल अन्य कार्मिको ने पहचान लिया था। प्रकरण में बरामद माल मालखाना में जमा किया, जो दिनांक 26-08-2025 को नमूना सैम्पल का पव्वा मोहनराम को सुपुर्द किया, जिन्होंने आबकारी प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लाकर पेश की। फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी-1, फर्द नक्शा नजरी प्रदर्श पी-2, एफआईआर प्रदर्श पी-3, फर्द गिरफतारी लालाराम प्रदर्श पी-4 है, जिन सभी पर ए से बी पीओ करणीसिंह के हस्ताक्षर है, जिनके हस्ताक्षर साथ कार्य करने से पहचानता है। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-5 है, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-6 है, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-8 है, मुवमेन्ट रजिस्टर प्रदर्श पी-9, जिन सभी पर ए से बी पीओ साहब करणीसिंह के हस्ताक्षर है, जिनके हस्ताक्षर साथ कार्य करने से पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्त को पर्याप्त अवसर

Authenticated Document

दिये जाने के पश्चात भी उक्त गवाह से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

12- इस प्रकार अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादी करणीसिंह, प्रहराधिकारी आबकारी निरोध दल जालोर द्वारा एक फर्द जब्ती एवं बरामदगी इस आशय की पेश करने पर हुआ कि दिनांक 15-08-2025 को वह मय जाब्ता सिपाही गुमानाराम व सुरताराम के जरिये सरकारी वाहन व अनुसंधान बॉक्स के रेड/गश्त करते हुए सूचना के आधार पर जालोर से महेशपुरा जाने वाली कच्ची सड़क पर पहुंचे तो सामने से एक व्यक्ति अपने हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल लिए खड़ा दिखाई दिया, जो बावर्दी जाब्ते को आता देखकर बोतल को वहीं जमीन पर रखकर घन्नी झाड़ियों में भागने लगा, जिसे जाब्ते ने लालाराम पुत्र खीमाराम, निवासी एफसीआई कोलोनी, जालोर के रूप में पहचाना, क्योंकि पहले भी वे उसकी तालशी ले चुके हैं। जाब्ते ने उक्त व्यक्ति का पीछा किया, परंतु वह घन्नी आबादी में रुहपोष हो गया। मौके पर कोई भी स्वतंत्र मौतबीर नहीं मिलने पर जाब्ते के कर्मचारियों को मौतबिर मामूर कर उक्त प्लास्टिक की बोतल को खोलकर देखा व सूंघा तो पूर्व के अनुभव के आधार पर 01 लीटर देशी हथकडी शराब होना पाया। अभियुक्त के कब्जे से बरामद शराब के संबंध में अभियुक्त के पास कोई परमिट या लाईसेंस नहीं होना पाये जाने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पीडब्ल्यू-1 हाथीसिंह को परीक्षित करवाया। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं को मालखाना प्रभारी बताते हुए करणीसिंह द्वारा प्रकरण में जब्त शराब को मालखाना में करने बाबत कथन किए है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई, जिस कारण उक्त गवाह के बयान अखंडित रहे है।

13- आगे अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त फर्दात्त को स्वीकार किये जाने से भी उक्त साक्षी के कथन अखंडित माने गए। प्रकरण में अभियुक्त के चैतन्य आधिपत्य से जो शराब बरामद हुई है, उसकी पुष्टि फर्द जप्ती व बरामदगी प्रदर्श पी-1 से होती है। साथ ही घटनास्थल की पुष्टि नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 से होती है एवं प्रकरण में जब्तशुदा द्रव्य एल्कोहल था, इस तथ्य की पुष्टि परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 से होती है। उल्लेखनीय रहें कि अधिवक्ता अभियुक्त ने फर्द जब्ती व बरामदगी प्रदर्श पी-1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2, नक्शा मौका प्रदर्श पी-3, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-4, अग्रेषण पत्र वास्ते एफएसएल प्रदर्श पी-5, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-6, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-7, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-8, मूवेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श

Authenticated Document

पी-9 आदि समस्त फर्दात्त को स्वीकार किया है, जिससे भी अभियोजन की कहानी प्रमाणित मानी जाती है। यद्यपि अभियोजन पक्ष ने जिस गवाह को परीक्षित करवाया है, वह गवाह पुलिसकर्मी है, परंतु इस न्यायालय के विनम्र मत में गवाह पुलिसकर्मी होने मात्र से कार्यवाही संदेहास्पद नहीं हो जाती एवं पुलिसकर्मी भी सक्षम साक्षी होता है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह पेश हुआ है, उसकी साक्ष्य कमोबेश अंखडित रही है, जिस पर अविश्वास करने का न्यायालय के समक्ष कोई संतोषजनक कारण उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित होता है कि अभियुक्त के चैतन्य आधिपत्य से प्रकरण में जप्तशुदा शराब बरामद की गई, जिसे अपने पास रखने के लिए कोई वैध अनुज्ञा-पत्र अभियुक्त के पास नहीं था। इस प्रकार अभियोजन पक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गई अभियोजन कहानी को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है।

14- सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा कि अभियुक्त ने दिनांक 15-08-2025 को दौराने रेड/गश्त वाके मौजा जालोर से महेशपुरा जाने वाली कच्ची सड़क पर अपने अनन्य व भौतिक कब्जे से प्लास्टिक के बोतल में कुल 02 लीटर नाजायज हथकड़ शराब रखी, जिसे सक्षम अधिकारी ने उससे जब्त की, जिसको स्वयं के चैतन्य एवं कब्जे में रखने का उसके पास कोई लाइसेंस/परमिट नहीं था। परिणामस्वरूप अभियुक्त लालाराम पुत्र खीमाराम, उम्र 31 वर्ष, निवासी एफ.सी.आई. कोलोनी, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

15- परिणामतः अभियुक्त लालाराम पुत्र खीमाराम, उम्र 31 वर्ष, निवासी एफ.सी.आई. कोलोनी, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर को अपराध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

(डॉ . विमल व्यास)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जालोर

16– सजा के प्रश्न पर सुना गया। सजा के बिंदु पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा कभी भी न्यायालय द्वारा दी गई

Authenticated Document

परिवीक्षा का लाभ नहीं लिया है, जिस बाबत् अभियुक्त की ओर से पूर्व में परिवीक्षा का लाभ नहीं लिये जाने बाबत् शपथ-पत्र भी पृथक से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही निवेदन किया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। अंत में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

17- विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

18- उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध विगत दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय अभियुक्त को तुरंत प्रभाव से कारावास या अर्थदण्ड से दण्डित करने के बजाय सुधार का एक अवसर दिया जाना न्यायसंगत पाता है तथा अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का फायदा दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

दण्डादेश

19- अतः अभियुक्त लालाराम पुत्र खीमाराम, उम्र 31 वर्ष, निवासी एफ.सी.आई. कोलोनी, जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर को अपराध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम की दोषसिद्धि के तहत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि हेतु 10,000/- रुपये की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इस आशय का पेश करेगा कि अभियुक्त उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, शांति व सदाचार बनाए रखेगा, न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित हो जाएगा, तो उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। साथ ही, आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त पर हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 400/-रुपये (अक्षरे चार सौ रुपये) बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित किए जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री बाद गुजरने अपील/मियाद नियमानुसार निस्तारण बाबत संबंधित पुलिस थाना को तहरीर जारी की जावें।

Authenticated Document

20- अभियुक्त के हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(डॉ . विमल व्यास)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जालोर

21- निर्णय आज दिनांक 10-06-2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ . विमल व्यास)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जालोर

LAXMAN RAM
Authenticated Document
Digitally signed by LAXMAN RAM
Date: 2026.07.09 17:39:55 +0530

Authenticated Document